वन एवं ग्राम्य विकास शाखा,
उत्तरांचल शासन
संख्याः 694 / वन एवं ग्रा.वि.शा.
दिनांक अगस्त 1, 2001

विषयः प्रदेश की भांति जनपदों में भी कपार्ट कार्यक्रम सहयोग एवं समन्वय समिति का गठन

योजना आयोग, भारत सरकार तथा काउन्सिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एन्ड रूरल टैक्नोलोजी (कपार्ट) से प्राप्त निर्देशों तथा उत्तरांचल में विकास कार्यक्रमों के संचालन में स्वयं सेवी संस्थाओं की बढ़ती हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए स्वयं सेवी संस्थाओं की क्षमताओं का अधिकतम उपयोग एवं सरकारी विभागों के मध्य आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश स्तर पर उत्तरांचल कपार्ट कार्यक्रम सहयोग एवं समन्वय समिति का गठन शासनादेश सं0 830 / व.ग्रा.वि. / 2001 दिनांक 14 मई, 2001 के दौरान किया गया है, इसी क्रम में जनपद स्तर पर भी कार्यक्रम सहयोग एवं समन्वय समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है.

1.	मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	जनपद के ऐकर एन.जी.ओ.	सदस्य
4.	डी.डी.एम. नाबार्ड	सदस्य
5.	जनपद के लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
6.	जनपद में कार्य कर रहे अधिकतम पाच स्वयं सेवी संस्थायें	सदस्य
7.	परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए.	सदस्य सचिव

2. यह समिति विभिन्न विकास कार्यक्रमों में जहां एन.जी.ओ. की आवश्यकता हो, उनका चयन करेगी तथा शासकीय कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करते हुये कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी. समिति की प्रत्येक माह में बैठक होगी जिसमें कार्यक्रमों की समीक्षा के अतिरिक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में इनोवेटिव प्रयोग करते हुए यथा समय गुणवत्ता के साथ पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया जायेगा.

3. समिति हेतु अधिकतम पांच स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन मुख्य विकास अधिकारी तथा ऐंकर एन.जी.ओ. द्वारा किया जायेगा, एन.जी.ओ. के चयन से पूर्व समिति निम्न बिन्दुओं पर आश्वस्त होकर चयन की कार्यवाही करेगी.

1. संस्था विधिवत पंजीकृत हो तथा कम से कम तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो.
2. संस्था की सार्वजनिक ख्याति अच्छी हो.
3. संस्था को कार्य विशेष में अनुभव हो.
4. संस्था के तीन वर्षों के लेखों का आडिट हो गया हो, तथा आडिट में किसी प्रकार की आपत्तियां न हो.
5. संस्था को ग्राम्य विकास से संबधित कार्यक्रमों का अनुभव हो.

कृपया उपरोक्तानुसार समिति का गठन कर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में यथा संभव समिति का सहयोग प्राप्त किया जाय.

(डा. आर.एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

1. आयुक्त ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज निदेशालय पौड़ी.
2. समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल.
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तरांचल.
4. समस्त डी.डी.एम. नाबार्ड उत्तरांचल.
5. समस्त लीड बैंक अधिकारी उत्तरांचल.
6. समस्त जिला विकास अधिकारी उत्तरांचल.
7. समस्त परियोजना निदेशक डी.आर.डी.ए. उत्तरांचल.
8. समस्त ऐंकर एन.जी.ओ. उत्तरांचल.

(डा. आर.एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त